कार्यालय उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश नीमच (म.प्र.)

neemuch@mptownplan.gov.in

क्रमांक/1264 /एल.पी./मन्दसौर/नग्रानि/2021 नीमच दिनांक 23/6/2021

प्रति,

श्रीमति सुशीला देवी पति रणछोड़ प्रसाद जी गनेडीवाल
निवासी- गनेडीवाल मिल एरिया रेल्वे स्टेशन के पास मन्दसौर
जिला-मन्दसौर (म.प्र.)

विषय:- कस्बा मन्दसौर तहसील व जिला मन्दसौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 154, 155,157/1/1 रकबा क्रमश: 0.5540, 0.5120, 2.829 मे से 1.338 हेक्टर कुल रकबा 2.404 हेक्टर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु अभिन्यास "**यश इनक्लेव**" अनुमोन बाबत् ।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 29 (I) में प्रस्तुत दिनांक 31.03.2021.

-:0:-

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र एवं आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न सत्यापित दस्तावेजो के अनुसार यथा वर्णित कस्बा मन्दसौर तहसील व जिला मन्दसौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 154, 155,157/1/1 रकबा क्रमश: 0.5540, 0.5120, 2.829 मे से 1.338 हेक्टर कुल रकबा 2.404 हेक्टर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु अभिन्यास "**यश इनक्लेव**" अनुमोन चाहा गया है ।

अत: मन्दसौर विकास योजना-2031 अनुसार विषयांकित भूमि आवासीय उपयोग के अन्तर्गत होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम-1998 संशोधित नियम 2012 के एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत निम्नलिखित निर्बधनों एवं शर्तो के अध्यधीन रहते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतू "**यश इनक्लेव**" आवासीय अभिन्यास अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है :-

1 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्थाओं से अनापत्ति/अनुज्ञालेना अनिवार्य होगा :-
   1 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959
   2 मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 (संशोधित नियम 2012)
   3 नजूल अधिकारी मंदसौर.

2 अन्य किसी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें ।

3 संलग्न मानचित्र में दर्शाऐ अनुसार विषयांकित स्थल को न्यू कलेक्ट्रेट से वात्सल्य स्कूल की ओर जाने वाले 18.0 मीटर चौड़े मार्ग से पहूँच प्राप्त है जैसा कि संलग्न मानचित्र में दर्शये है । अत :मार्गाधिकार की भूमि में किसी भी प्रकार का विकास निर्माण मान्य नही होगा।

4 मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रिकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते नियम

निरन्तर.......2

Sushila Devi Ganediwal

Scanned with CamScanner

1998 संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजि. क्रमांक 02/1999 दिनांक 27.02.1999 जिसकी वैधता दिनांक 27.12.2021 के अनुसार अन्य सभी नियमों का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।

5. आवेदक/भू-स्वामी द्वारा प्रसतुत खसरा-अक्स/ बटांकन में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी ।

6. संलग्न मानचित्र में दर्शोये अनुसार आवासीय अभिन्यास के अंतर्गत निर्मित होने वाले भवन के चारो ओर सीमांत खुले क्षैत्र एवं आवृत खेत्र अधिकतम अभिन्यास मानचित्र में दर्शाऐ अनुसार मान्य होगे । तथा भवन की ऊँचाई तथा फर्शी क्षैत्रानुपात मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मानय होगा। मार्गाधिकार एवं सीमांत खुले क्षेत्रों मे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा ।

7. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 3.4.2012 के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2004 (मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड-2004 अनुसार आवासीय कॉलोनी/वाणिज्यिक/बहु-उपभोक्ता परिसरों के लिये अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदक/भूस्वामी बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौपेगा तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहॉ तक सभंव हो पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन यदि आवश्यक हो तो स्थातिप किया जाना होगा । जिसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।

8. मध्यप्रदेश कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते नियम-1998 मे निर्दिष्ट प्रावधानोनुसार विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्ते करने के पश्चात स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भू-स्वामी/विक्रेता द्वारा राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन कराया जाना आवश्यक होगा। सीमांकन अनुसार यदि भूमि के क्षेत्रफल/सीमा में यदि कोई भिन्नता आती है, तो आवेदक/भू-स्वामी को पुनः सीमांकित अभिन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत कराना होगा।

9. आवेदक द्वारा चयनित विकल्प अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 संशोधित नियम 2012 के अन्लर्गत नियम 10 (1 से 17) के प्रावधानों अनुसार आवेदक/कालोनाईजर द्वारा विकल्प अनुसार आश्रय शुल्क नगर पालिका मंदसौर में जमा कराने के उपरान्त ही विकास कार्य को क्रियान्वित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की जावेगी ।

10. स्थल पर किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित मानको तथा मापदण्डो के अनुसार विकास/भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही स्थल पर विकास/निर्माण कार्य किया जावेगा ।

11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के प्रावधानों अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करना होगा, तथा स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखा जावे एवं यदि कोई वृक्ष मार्गो की संरचना मे व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे हटाने के पूर्व कलेक्टर मंदसौर से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, साथ ही म.प्र.शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण करना होगा ।

12. भवनों का निर्माण म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम 88 में निर्दिष्ट प्रावधानो के अंतर्गत भूकम्प अवरोधी तकनीकी से करना होगा।

निरन्तर......3

Sushila Devi Gamechiwal

Scanned with CamScanner

13. संलग्न आवासीय अभिन्यास मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये मार्गो की निरन्तरता को सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे । पहुँच मार्ग की समुचित व्यवस्था नियमानुसार की जाना आवश्यक होगी ।
14. आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के गंदे पानी की निकासी, जल मल संवहन की व्यवस्था, पीने के पानी की पाईप लाईन एवं टंकी आदि का निर्माण लो स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ग्राम पंचायत के निर्देशन मे निर्धारित मानको व मापदण्डो के अनुसार उनकी देख-रेख मे करना होगा ।
15. आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के कचरे के संग्रहण/निपटान की समुचित व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्धारित स्थानो पर की जाना सुनिश्चित करना होगा।
16. सामुदायिक सेवा/सुविधाओं तथा सेप्टिक टैंक, इत्यादि का पृथक से प्रावधान करना आवश्यक होगा। तथा संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी होगी ।
17. विषयांकित भूमि से विद्युत लाईन होकर गुजर रही है, विद्युत लाईन विस्थापन के पश्चात ही विद्युत लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड पर विकास/विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करवाया जावेगा । आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर मे विद्युत लाईन/ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के नियमों के तहत उनकी देखरेख मे करना आवश्यक होगा ।
18. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81 (4) के प्रावधान अनुसार वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था अपनाई जाना होगा।
19. आवेदक द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50-52 का पालन सुनिश्चित किया जावे । तत्पश्चात ही आवेदकस्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।
20. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम-84 (I) परिशिष्ट झ-1 झ-2 के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था आवेदक को स्वयं के परिसर में करना होगा ।
21. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
22. म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा तीन वर्ष की समयावधि के लिये प्रवृत रहेगी ।
23. भू-स्वामी द्वारा आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर का संपूर्ण विकास/निर्माण निर्धारित मानको व मापदण्डों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में पूर्ण करना होगा।
24. यह अनुज्ञा केवल आवासीय अभिन्यास प्रयोजन हेतु दी गई है। जिसका अन्य उपयोग हेतु भूमि का उप-विभाजन एवं भूमि उपयोग परिवर्तन मान्य नही होगा। तथा किसी भी प्रकार से निर्मित भवन को प्रकोष्ठो मे विभक्त कर विक्रय नही किया जावेगा, यदि भू-स्वामियों द्वारा भवन को प्रकोष्ठो में विभक्त कर विक्रय किया जाना पाया जावेगा तो भू-स्वामियो के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम-1056 (क्रमांक 23 सन 1956) के अंतर्गत निर्मित (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम-1998 के प्रावधानो के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सूनिश्चित की जा सकती है । तथा अवैध रूप से निर्मित भवन प्रकोष्ठ/उपविभाजन किये जाने संबंधी प्रकरण तैयार कर भारतीय दण्ड संहित के तहत् भू-स्वामियो के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक भू-स्वामियो की मानी जावेगी।

निरन्तर.......4

Scanned with CamScanner

25. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी 5X4 फुट साईज बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा ।
26. इस अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें, भू-स्वामित्व संबंधी कोई भी वाद-विवाद उत्पन्न होने पर स्वयं भूमि स्वामी जिम्मेदार होगे एवं यह अनुज्ञा स्वयंमेव ही प्रभाव शुन्य
जावेगी । तथा यह अनुज्ञा अहंस्तांरणीय होगी । व इस अनुमोदित मानचित्र को किसी भी न्यायालय में स्वामित्व दस्तावेज स्वरूप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नही माना जावेगा । यह केवल नियोजन अनुज्ञा है ।
27. संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार खुला क्षेत्र/बगीचे का विकांस करना होगा व वायर फेन्सींग से सुरक्षित रखना होगा, इसका अन्य उपयोग वर्जित होगा । एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संबंधित विभाग से पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
28. समय-समय पर प्रचलित नियमों तथा शासन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
29. अनुमोदित आवासीय अभिन्यास के विपरीत किए गए विकास कार्य एवं गलत जानकारी दिए जाने पर तथा वैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर या पत्र मे उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानो के तहत प्रतिसंव्हत (रिव्होक) कर दी जावेगी । जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदकगण की रहेगी ।

संलग्नः- एक मानचित्र,

(जी.एल.वर्मा)
प्र.उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला नीमच (म.प्र.)
फोन नं. 07423-224072

पृष्ठा.क्रमांक/ /नग्रानि/एल.पी./2021 नीमच,दिनांक

प्रतिलिपिः-

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड-मन्दसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मंदसौर तहसील एवं जिला मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
3 उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय मंदसौर की ओर स्वीकृति के अनुरूप भूखण्डों/भवनों के विक्रय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4 सहायक यंत्री मध्यप्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मंदसौर की ओर सूचनार्थ।

संलग्नः- एक मानचित्र ।

Sushila Devi Gamechiwal.

(जी.एल.वर्मा)
प्र.उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला नीमच (म.प्र.)
फोन नं. 07423-224072

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एस.डी.ओ. जिला मन्दसौर

आदेश

(नियम 13 के नियम ... देखें)

35/अ-2/21-22

1. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम SUSHILA DEVI पता : 2/3 NEW PALASIYA RAMNARAYAN SHASTRI MAARG INDORE INDORE 452001 द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की सूचना आवेदन क्रमांक 2201 0153 735 दिनांक 17/08/2021 द्वारा निम्न तालिका अनुसार दी गई है :

जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर रा.नि.म. : मंदसौर नगर पटवारी हल्का : कस्बा मंदसौर ग्राम : कस्बा मन्दसौर

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि(व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
157/1/मिन-1/1	कृषि	आवासीय	28290	13380	10.00	133800.00	13380	1.50	20070.00	0.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				153870.00						

2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रब्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार हैं :-

जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर रा.नि.मं. : मंदसौर नगर पटवारी हल्का : कस्बा मंदसौर ग्राम : कस्बा मन्दसौर

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
157/1/मिन-1/1	कृषि	आवासीय	28290	13380	10.00	133800.00	13380	1.50	20070.00	0.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				153870.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0153 735 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुरुस्त किया जाये। (जहाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि सामान है।)

5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0153 735 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्भूत हुए अतिरिक्त प्रब्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा।

दिनांक : 17/08/2021

अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर (म.प्र.)
जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर

प्रतिलिपि:-

1. SUSHILA DEVI (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि के भुगतान (पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0153 735 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु।
2. तहसीलदार पैरा – 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित पटवारी हल्का कस्बा मंदसौर रा.नि.म. मंदसौर नगर तहसील , मंदसौर नगर की ओर कार्यवाही हेतु।

Sushila Devi Ganodhiwal

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एस.डी.ओ. जिला मन्दसौर

आदेश

(नियम 13 के नियम ... देखें)

106/अ-2/21-22

1 भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम : sushila devi पता : 2/3 new palasiya ramnarayan shastri maarg indore indore 452001 द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की सूचना आवेदन क्रमांक 2201 0151 714 दिनाक 17/08/2021 द्वारा निम्न तालिका अनुसार दी गई है :-

जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर रा.नि. मं.: मंदसौर नगर पटवारी हल्का : कस्बा मंदसौर ग्राम : कस्बा मन्दसौर

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि(व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
154	आवासीय	आवासीय	5540	5540	10.00	55400.00	5540	1.50	8310.00	0.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				63710.00						

2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रब्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण ...

जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर रा.नि. मं.: मंदसौर नगर पटवारी हल्का : कस्बा मंदसौर ग्राम : कस्बा मन्दसौर

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
154	आवासीय	आवासीय	5540	5540	10.00	55400.00	5540	1.50	8310.00	0.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				63710.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0151 714 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुरुस्त किया जाये। (जहाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि समान है।)

5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0151 714 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्भूत हुए अतिरिक्त प्रब्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा।

दिनांक : 17/08/2021

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर (म.प्र.)

जिला मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर

प्रतिलिपि:-

1. sushila devi (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि के भुगतान (पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0151 714 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु।
2. तहसीलदार पैरा – 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित पटवारी हल्का कस्बा मंदसौर रा.नि.मं. मंदसौर नगर तहसील , मंदसौर नगर की ओर कार्यवाही हेतु।

Ph for
Sushila Devi Ganediwal,

Nawandi

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एस.डी.ओ. जिला मन्दसौर

आदेश

(नियम 13 के नियम ... तहत)

108/अ-2/21-22

1. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम : SUSHULA DEVI पता : 2/3 NEW PALASIYA RAMNARAYAN SHASTRI MAARG INDORE INDORE 458001 द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की सूचना आवेदन क्रमांक 2201 0152 807 दिनांक 17/08/2021 द्वारा निम्न तालिका अनुसार दी गई है :-

जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर रा.नि. मं.: मंदसौर नगर पटवारी हल्का : कस्बा मंदसौर ग्राम : कस्बा मन्दसौर										
सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी						प.क
				व्यपवर्तित भूमि(व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
155	आवासीय	आवासीय	5120	5120	10.00	51200.00	5120	1.50	7680.00	0.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				58880.00						

2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रब्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार हैं :-

जिला : मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर रा.नि मं.: मंदसौर नगर पटवारी हल्का : कस्बा मंदसौर ग्राम : कस्बा मन्दसौर										
सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
155	आवासीय	आवासीय	5120	5120	10.00	51200.00	5120	1.50	7680.00	0.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				58880.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0152 807 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुरुस्त किया जाये। (जहाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि सामान है।)

5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2201 0152 807 दिनांक 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्भूत हुए अतिरिक्त प्रब्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा।

दिनांक : 17/08/2021

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी ... मन्दसौर (म.प्र.))

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग
उपखण्ड मन्दसौर (म.प्र.)
जिला मन्दसौर तहसील : मंदसौर नगर

प्रतिलिपि:-

1. SUSHULA DEVI (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि ... 2201 01... 17/08/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु।
2. तहसीलदार पैरा – 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित पटवारी हल्का कस्बा मंदसौर रा.नि.मं. मंदसौर नगर तहसील , मंदसौर नगर की ओर कार्यवाही हेतु।

Sushila Devi Gandhiwal.

Scanned with CamScanner